न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1509–पीबीआर/15 विरूद्ध सूचना पत्र दिनांक 26–5–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला धार सूचना पत्र कमांक 1690/बी–121/2014–15.

1– नारायण पिता रामाजी लोधा

2– शोभाराम पिता रामाजी लोधा

3– बालाराम पिता बद्रीलाल कुलमी

4– धापूबाई पति बद्रीलाल कुलमी

निवासीगण ग्राम तोरनोद

तहसील व जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

विद्याधरराव पिता श्रीधरराव जोशी

निवासी आनंद चौपाटी धार .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक, आवेदकगण

श्री योगेन्द्र भदौरिया, अभिषक, अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला धार द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 26–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला धार द्वारा आवेदकगण को श्री मदन मोहन मन्दिर धार भूमिस्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर के नाम ग्राम तोरनोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 84 रकबा 2.378 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 313 रकबा 8.296 हेक्टेयर के संबंध में इस आशय का सूचना पत्र जारी किया गया कि आवेदकगण

द्वारा व्यवहार न्यायालय में कब्जा के आधार पर प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 25 ए/2009 में दिनांक 31–8–2010 को आदेश पारित कर व्यवहार वाद निरस्त किया गया है, अतः क्यों न आपसे प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा वापिस लिया जाये, इस संबंध में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें । अनुविभागीय अधिकारी के इसी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का 100 वर्ष से भी अधिक समय से पीढ़ी–दर–पीढ़ी कब्जा चला आ रहा है, और यह बात अनावेदक की जानकारी में होने के उपरांत भी उसके आवेदन पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसका अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है ।

(2) पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 5–4–2003 से प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवस्थापक कलेक्टर अथवा शासन का कोई संबंध नहीं रहा है, और उक्त आदेश के विरूद्ध अपील भी विड्रा हुई है, ऐसी स्थिति में भी अनुविभागीय अधिकारी को किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का कोई अधिकार नहीं है ।

(3) व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में कोई आदेश अथवा डिक्री पारित नहीं की गई है, अतः केवल वाद निरस्त होने से अनावेदक विद्याधरराव को कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(4) अनावेदक विद्याधरराव द्वारा व्यवहार न्यायालय में आवेदकगण के व्यवहार वाद में कोई भी प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में अनावेदक को कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(5) व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है, और अनुविभागीय अधिकारी केवल अपील में ही आदेश पारित कर सकते हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा केवल सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि संहिता की धारा 50 के प्रावधानों के विरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमियां श्री मदन मोहन मन्दिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, और आवेदकगण द्वारा येन–केन–प्रकारेण प्रश्नाधीन भूमियों को अपने नाम करवाकर बटवारा करा लिया गया है, जो कि न केवल अवैधानिक कार्यवाही है, बल्कि आपराधिक भी है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार के समक्ष एक आवेदन पत्र अनावेदक विद्याधर जोशी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम तोरनोद में क्रमशः भूमि सर्वे नं. 84 रकवा 2.378 एवं सर्वे नं. 213 रकवा 8.296 है0 भूमि के संबंध में एक वाद 25–ए/2009 नारायण पिता रामा जी लोधा अन्य के विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर धार एवं अन्य के विरूद्ध दिनांक 31.08.2010 को तृतीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 धार के न्यायालय से निर्णित हुआ है, जिसमें नारायण, शोभाराम, धापूबाई व वलराम का वाद खारिज हुआ है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमियो को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये । आवेदन पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया जिसका विधिवत् जबाव आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया एवं बताया गया कि न्यायालय को सूचना पत्र जारी करने का अधिकार ही नहीं है। विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1950 से पूर्व से पुस्त दर पुस्त रहा है एवं वर्तमान समय में है, हमारे होल लगे है, पीयत के साधन है, यह सब विपक्षी को मालूम है । इस संबंध में पूर्व में व्यवहार वाद के निर्णय दिनांक 05.04.2003 से निर्धारित हो चुका है कि व्यवस्थापक अथवा शासन का कोई संबंध उक्त भूमि से नहीं रहा है तथा कब्जा आवेदकगण का निरंतर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय मे भी यह निर्णय बहाल रहा है। वर्तमान निर्णय में कोई अज्ञाप्ति कब्जे प्राप्ती की अनावेदक विद्याधर को नहीं मिली है ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय बताकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के जो कार्यवाही प्रचलित की गयी है, वह अधिकारिता रहित है और इस कारण जो सूचना पत्र आवेदक को जारी किया गया है,

वह मूलतः शून्य है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश और कार्यवाही अधिकारिता रहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से आवेदक के उक्त तर्को की पुष्टि होती है । व्यवहार न्यायालय के निर्णय दिनांक 5–4–2003 में आवेदक का कब्जा तथा भूमि से कलेक्टर का नाम हटाने के स्पष्ट आदेश हुये हैं । अनावेदक का दावा भी खारिज हुआ है । 2010 के निर्णय से भी अनावेदक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त नोटिस उन्होंने संहिता की किस धारा के तहत जारी किया है । उक्त नोटिस प्रथमदृष्टया ही पूरी तरह अधिकारिता रहित है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जिला धार द्वारा पारित सूचना पत्र दिनांक 26.05.2015 निरस्त किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर